राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 24876–894 दिनांक 11.11.2025 द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ़ में आर.टी.ई के तहत निजी विद्यालयों को वर्ष 2024–25 में किये गये भुगतान में अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु भौतिक सत्यापन दल संख्या 51 चूरू में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार श्री अश्विनी कुमार पारीक को दल सदस्य के रूप में लगाया गया था।

चूंकि श्री पारीक दिनांक 03.11.2025 से 05.12.2025 तक कनिष्ठ लेखाकार के सांस्थानिक प्रशिक्षण पर है। अतः इनके स्थान पर श्री सुरेन्द्र मायल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल संख्या 52 मुख्यालय, चूरू को विशेष जांच दल में सदस्य के रूप में लगाया जाता है।

Sd

(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/24989–999 दिनांक :– 12.11.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, संभाग बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु एवं जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करावें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
5. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.जां.दल सं. 51, चूरू/श्री सुरेन्द्र मायल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, सदस्य, भौ.जां.दल सं. 52, चूरू को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)